भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4658
दिनांक 21.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

नल से जल मिशन

†4658. श्री अनिल यशवंत देसाईः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) देश में 'नल से जल मिशन' आरम्भ करने के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;
(ख) देश में अभी भी जल की कमी से जूझ रहे गाँवों और शहरों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ग) सरकार द्वारा लोगों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) विगत दस वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त उद्देश्य हेतु किए गए वित्तीय आवंटन का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ): भारत सरकार पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) को शामिल करके अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल कार्यान्वित कर रही है जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए नल जल कनेक्शन के माध्यम से नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस:10500) के साथ 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) के सेवा स्तर पर पीने योग्य जल का प्रावधान करना है।

जल जीवन मिशन की घोषणा के समय 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 18.08.2025 तक, लगभग 12.45 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 18.08.2025 तक, देश के लगभग 5.86 लाख गांवों में 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 5.82 लाख गांवों में बसे लगभग 15.69 करोड़ (81.02%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है। इसके अलावा, 18.08.2025 तक,

2.63 लाख से अधिक गांवों को 'हर घर जल' के रूप में सूचित किया गया है, अर्थात् उनमें 100% ग्रामीण परिवारों के पास नल जल आपूर्ति उपलब्ध है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और जेजेएम-आईएमआईएस के जरिए इसे निम्न लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है:

https://ejalshakti.gov.in/JJM/JJMReports/Physical/Rpt_JJM_VillageWisePWSReport.aspx

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि भारत सरकार अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और अमृत 2.0 जैसी विभिन्न योजनाओं/मिशनों के माध्यम से राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

केंद्र सरकार द्वारा 25 जून 2015 को देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 500 शहरों (विलय किए गए 15 शहरों सहित 485 शहरों) के लिए अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) शुरू किया गया था। मिशन के प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्र जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, तूफानी जल की निकासी, हरित स्थान तथा पार्क, गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन हैं।

अमृत के तहत 43,392.15 करोड़ रुपये की 1,405 जलापूर्ति परियोजनाओं का कार्य शुरू किया गया है। अमृत मिशन के तहत राज्यों के साथ सामंजस्य में, 139 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 189 लाख नल जल कनेक्शन (नए/सर्विस) प्रदान किए गए हैं।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 योजना दिनांक 01 अक्टूबर 2021 को सभी यूएलबी/शहरों में शुरू की गई थी ताकि शहर 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बन सकें। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन का सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक है। जल निकायों का कायाकल्प, हरित क्षेत्रों और उद्यानों का विकास मिशन के अन्य घटक हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संपूर्ण मिशन अवधि के लिए मिशन के आरंभ में कुल केन्द्रीय सहायता आबंटित की गई थी, न कि वार्षिक आधार पर। अमृत 2.0 के तहत, अब तक एमओएचयूए द्वारा 1,18,421.92 करोड़ रुपये की 3,571 जल आपूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। स्वीकृत परियोजनाओं में 178 लाख नए नल जल कनेक्शन शामिल हैं।

पेयजल राज्य का विषय होने के कारण जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन एवं रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। मिशन के अंतर्गत अब तक की गई वित्तिय प्रगति का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	सूचित उपयोग (केंद्र + राज्य)
2019-2020	10,000.66	10,000.66	10,000.44	10,074.28
2020-2021	11,500.00	11,000.00	10,999.94	20,449.96
2021-2022	50,011.00	45,011.00	40,125.64	43,551.85
2022-2023	60,000.00	55,000.00	54,839.79	92,339.73
2023-2024	70,000.00	70,000.00	69,992.37	1,55,979.20
2024-2025	70,162.90	22,694.00#	22,638.44	92,600.89

#कुल उपयोग 2,08,652 करोड़ रुपये के अनुमोदित केंद्रीय परिव्यय तक सीमित है स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस/पीएफएमएस

पूरे देश में जल जीवन मिशन की योजना बनाने और उसे तेजी से कार्यान्वित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ,* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कार्यपरिपूर्णता योजनाओं और वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) पर संयुक्त विचार-विमर्श करना और उनको अंतिम रूप देना, कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा करना, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, ज्ञान साझा करने के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक दल द्वारा क्षेत्र दौरे, आदि शामिल हैं। जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत कार्यसंबधी दिशानिर्देश; ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायतों और वीडब्ल्यूएससी के लिए मार्गदर्शिका तथा जल जीवन मिशन की आयोजना और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं तथा स्कूलों में पाइपगत जल की आपूर्ति प्रदान करने हेतु एक विशेष अभियान के संबंध में दिशानिर्देश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए हैं। ऑनलाइन निगरानी के लिए, जेजेएम-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) और जेजेएम-डैशबोर्ड स्थापित किए गए हैं। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से पारदर्शी ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन के लिए भी प्रावधान किया गया है।

दीर्घकालिक स्थिरता और नागरिक केंद्रित जल सेवा प्रदान करने के लिए ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता तथा संचालन और रखरखाव पर ध्यान देने के साथ-साथ मिशन के निरंतर कार्यान्वयन के माध्यम से 100 प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने हेतु, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025-26 के दौरान वर्धित कुल परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है। 2025-26 में मिशन के सुचारू और त्वरित कार्यान्वयन के लिए, बजट अनुमान 2025-26 के रूप में 67,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

*****